

पत्रांक-7/लो0स्वा0प्रयो0-21-01/2018 08 (7)01

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

- 1) उप रासायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक-संयुक्त खाद्य एवं औषधि, प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना।
- 2) निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।
- 3) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया।
- 4) अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।
- 5) लोक विश्लेषक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर।
- 6) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, भोजपुर (आरा)।
- 7) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, मुंगेर।
- 8) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सहरसा।
- 9) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, सारण (छपरा)।
- 10) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, पूर्णियाँ।
- 11) अधीक्षक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक : 07-06-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,77,54,656/- (दो करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार छः सौ छप्पन रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹2,77,54,656/- (दो करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार छः सौ छप्पन रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20-अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप रासायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पिलग्रीम अस्पताल, गया के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया/जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर एवं जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, सदर अस्पताल भोजपुर (आरा)/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, मुंगेर/जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, सहरसा/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, छपरा/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, पूर्णियाँ/ जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सदर अस्पताल, मोतिहारी के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ई वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।



6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

7. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

8. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

07/06/18

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 08(7)A

पटना, दिनांक : 07-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर,स्वास्थ्य/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

07/06/18

सरकार के विशेष सचिव

(9)

द्वितीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन विवरणी-I

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वर्दी/पोषाक	किसाया महशूल एवं कर	सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(11-01)	(13-01)	(13-06)	(14-01)	(21-01)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	3120000	312000	468000	20000	6240	187200	4113440	20000	20000	3000	4000	5000	4165440
2	लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना	3360000	336000	504000	20000	6720	201600	4428320	20000	20000	3000	4000	5000	4480320
3	जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया	2160000	216000	324000	0	4320	129600	2833920	20000	20000	3000	4000	5000	2885920
4	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर	936000	93600	140400	0	1872	56160	1228032	20000	20000	3000	4000	5000	1280032
5	जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	3120000	312000	468000	0	6240	187200	4093440	20000	20000	3000	4000	5000	4145440
6	सदर अस्पताल, भोजपुर	2112000	211200	316800	0	4224	126720	2770944	20000	20000	3000	4000	5000	2822944
7	सदर अस्पताल, मुंगेर	936000	93600	140400	0	1872	56160	1228032	20000	20000	3000	4000	5000	1280032
8	सदर अस्पताल, सहरसा	936000	93600	140400	0	1872	56160	1228032	20000	20000	3000	4000	5000	1280032
9	सदर अस्पताल, छपरा	960000	96000	144000	0	1920	57600	1259520	20000	20000	3000	4000	5000	1311520
10	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	2112000	211200	316800	0	4224	126720	2770944	20000	20000	3000	4000	5000	2822944
11	सदर अस्पताल, मोतिहारी	936000	93600	140400	0	1872	56160	1228032	20000	20000	3000	4000	5000	1280032
	कुल	20688000	2068800	3103200	40000	41376	1241280	27182656	220000	220000	33000	44000	55000	27754656

(दो करोड़ सतहत्तर लाख चौवन हजार छः सौ छप्पन) रू० मात्र

08 (JDA)
07-06-18

सरकार के विशेष सचिव
07.6.18

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0001-01-01)	41714000	20688000	21026000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	6257000	2068800	4188200
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	6674000	3103200	3570800
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	864000	40000	824000
5	विकिरसा भत्ता (0001-01-06)	864000	41376	822624
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	2085000	1241280	843720
	योग 20-2210.06.107.0001.01-वेतन	58458000	27182656	31275344
7	विकिरसा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	100000	0	100000
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	500000	220000	280000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	500000	220000	280000
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	100000	0	100000
11	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	80000	33000	47000
12	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	100000	44000	56000
13	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	568000	0	568000
14	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	120000	55000	65000
15	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	120000	0	120000
	कुल योग:-	60646000	27754656	32891344

08 (अ)अ

07-06-18

सरकार के विशेष सचिव

(9)

07/6/18